कैम्प कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या–1108/LXXXVII-CPC/e-Court/Allahabad दिनांक 20.05.2020 के द्वारा दिनांक 22.05.2020 से जिला बुलन्दशहर में जोन के अनुसार न्यायिक कार्य करने हेतु सशर्त आदेश जारी किये गये है। जिला प्रशासन की आख्या दिनांक 21.05.2020 के अनुसार वर्तमान में जनपद बुलन्दशहर के मुख्यालय में स्थित न्यायालय ऑरेंज जोन में है, वाह्य स्थित न्यायालय, खुर्जा कन्टेनमेन्ट जोन में तथा वाह्य न्यायालय अनूपशहर ऑरेंज जोन में है व ग्रामीण न्यायालय, स्याना भी ऑरेंज जोन में है। उक्त स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त वार्णित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार निम्न वर्णित जनपद न्यायालय बुलन्दशहर के मुख्यालय में स्थित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के द्वारा न्यायिक कार्य सम्पादित किया जाना है:–

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।
2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।
3. सभी विशेष क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय जैसे विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एवं विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट बुलन्दशहर।
4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
5. सिविल जज (प्रवर खण्ड), बुलन्दशहर।
6. सिविल जज (अवर खण्ड), न्यायालय कक्ष संख्या–01, बुलन्दशहर।
7. सिविल जज (अवर खण्ड), न्यायालय कक्ष संख्या–02, बुलन्दशहर।

अतः उपरोक्त वर्णित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को दिनांक 22.05.2020 से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या–1108/LXXXVII-CPC/e-Court/Allahabad दिनांक 20.05.2020 में दिये गये निर्देशानुसार न्यायिक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। सभी पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कम से कम स्टाफ के साथ सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशो के अनुपालन में सोशल डिस्टेंन्सिंग का पूर्ण पालन करते हुए न्यायिक कार्य सम्पादित करेगें। फेस मास्क तथा हैण्ड सैनिटाईजर का उपयोग भी नियमानुसार किया जायेगा। न्यायिक अधिकारी अथवा विद्वान अधिवकता द्वारा मॉग किये जाने पर किसी एक न्यायालय में मामले की सुनवाई Virtual Court के द्वारा भी सम्पादित की जा सकेगी।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सम्बन्धित पीठासीन अधिकारीगण एवं सम्बन्धित कर्मचारीगण कार्य समाप्ति के उपरान्त अविलम्ब न्यायालय परिसर रिक्त करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त वर्णित सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्र के पृष्ठ संख्या–04 के पैरा संख्या–04 में वर्णित कार्य सम्पादित किये जायेगें जे कि निम्न प्रकार है:–

1. एडमिशन नया व पैडिंग मामले (यदि कोई हो)।
2. लम्बित व नये जमानत प्रार्थनापत्र।
3. लम्बित व नये अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र।
4. वाहन रिलीज प्रार्थनापत्र व लघु प्रकृति के आपराधिक वादों का निस्तारण।
5. लम्बित व नये आवश्यक व्यादेश मामले।
6. धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्राप्त पुलिस रिपोर्ट आदि का निस्तारण।
7. विवेचक द्वारा गिरफतारी अधिपत्र अथवा 82/83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेशिकाएं प्राप्त करने हेतु दिये गये प्रार्थनापत्रों का निस्तारण तथा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत ब्यान अभिलिखित करना।
8. अण्डर ट्रायल अभियुक्तगण का रिमाण्ड वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पादित किया जावेगा।
9. यदि किसी मामले में बहस पूर्ण हो गयी है तो आदेश/निर्णय पारित किया जा सकता है।

10. कार्यालय से सम्बन्धित अन्य लम्बित कार्य तथा अन्य प्रशासनिक कार्य।

उपरोक्त वर्णित न्यायालय कक्षो में केवल वे ही न्यायालय कक्ष खोले जायेगें जिनमें पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण न्यायालय में सुनवाई चाहते है तथा न्यायालय कक्ष में केवल 04 कुर्सियां पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों के लिए उचित दूरी पर रखी जायगी तथा न्यायालय कक्ष में मौजूद सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा जो भी व्यक्ति कमरे में प्रवेश करेगा तो न्यायालय कक्ष में द्वार पर ही सेनिटाईजर का उपयोग किया जायेगा तथा न्यायालय के रीडर व अधिवक्तागण भी सोशल डिसटेंन्सिंग का पूर्ण पालन करेगें।

बहस के दौरान जिन विद्वान अधिवक्ताओं का मुकदमा न्यायालय में सुनिश्चित होगा, वही विद्वान अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में आयेंगे। शपथ आयुक्तों, स्टाम्प विक्रेता व टाइपिस्ट सीमित मात्रा में रहेंगे।

पीठासीन अधिकारीगण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ मुंसरिम/रीडर को आदेशित करें कि सी.आई.एस. सॉफटवेयर की कॉजलिस्ट में केवल माननीय उच्च न्यायालय के पत्र में दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार ही वाद को लगाये तथा बाकी शेष वादों में **General Date** लगाये जायेगें तथा कॉजलिस्ट की एक प्रति प्रतिदिन 03:30 सांय तक सिस्टम ऑफिसर को प्राप्त करायेगें।

विद्वान अधिवक्तागण जमानत प्रार्थनापत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को जनपद न्यायालय की ई–मेल आई0डी–**dcbulandshahr@gmail.com** पर भी भेज सकते है।

माननीय उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश के क्रम में अगर न्यायालय कन्टेनमेन्ट जोन में है तो न्यायालय को बन्द रखा जायेगा और प्रशासन की आख्या के अनुसार वाह्य स्थित न्यायालय, खुर्जा कन्टेनमेन्ट जोन में है। अतः वाह्य स्थित न्यायालय, खुर्जा बन्द रखा जायेगा।

वाह्य स्थित न्यायालय, अनूपशहर व ग्रामीण न्यायालय, स्याना उपरोक्तानुसार खोले जायेगें।

भवदीय

दिनांकः 21.05.2020

(नीलकंठ सहाय) 21/5
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

संलग्नकः– माननीय उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 20.05.2020 की प्रति।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त सम्बन्धित पीठासीन अधिकारीगण को वास्ते सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रशासनिक कार्यालय को उचित कार्यवाही हेतु।
3. केन्द्रीय नजारत को नियमानुसार न्यायालय व कार्यालय खुलवाने हेतु।
4. सिस्टम ऑफिसर को इस आशय से प्रेषित हो कि उक्त आदेश को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अध्यक्ष एवं सचिव सिविलि बार एसोसिएशन व डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को वास्ते सूचनार्थ व अपने अधिवक्ताओं को सूचित करने हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को समस्त दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशन कराये जाने हेतु।

(नीलकंठ सहाय) 21/5
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।